

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय : जनपद-देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पष्ठा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला-II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.955 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (online no. FP/UK/ROAD/126632/2021)

सन्दर्भ : आपका पत्रांक- 995 / 12-1 दिनांक- 19.09.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में एवं प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक- 656 / 12-1 दिनांक-06.09.2025 से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक- 8बी/यू०सी०पी०/०६/१४१/२०२१/ एफ०सी०/१३७२, दिनांक ०७.०१.२०२२ से लगाई गई आपत्तियों में बिन्दु संख्या-०४ का उत्तर निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है:-

क्र०	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
1	बिन्दु संख्या-०४ Road-side plantation scheme of Rs. 3286211/- other than CA uploaded online. State Govt is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा विषयांकित प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण के साथ-साथ रोड साईड प्लान्टेशन का प्राक्कलन ऑनलाईन अपलोड किया गया था। रोड साईड प्लान्टेशन के उक्त आंगणन को हटा दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक

शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- 810 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी कालसी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक

शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

0/4